जर्नल ऑफ ऐडोलेसन्ट हेल्थ के संपादक को पत्र

Originally published in English on September 1, 2021
https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(21)00383-9/fulltext

प्रिय संपादक,

कोविड-19 महामारी लैंगिक समानता और महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के कार्यक्षेत्र में प्राप्त हुई दशकों की प्रगति को पलट सकती है, जिसमें बाल/जल्द और जबरन विवाह व रिश्तों (CEFMU) को रोकने के वैश्विक प्रयास शामिल हैं। अनुमान बताते हैं कि महामारी (1) के परिणामस्वरूप, अगले दशक में 1 करोड़ और लड़कियों की शादी का खतरा होगा। महामारी से पहले भी, बहुत कम देश वर्ष 2030 तक बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने की राह पर थे, जो कि सतत विकास लक्ष्य 5: लैंगिक समानता प्राप्त करना और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना; का एक हिस्सा है।

इस संदर्भ में, जर्नल ऑफ ऐडोलेसन्ट हेल्थ में प्रकाशित मई 2021 का लेख, "बाल विवाह को रोकने के लिए क्या काम करता है*,* इस के साक्ष्य के *20* साल*:* एक व्यवस्थित समीक्ष " (2), ऐसे हस्तक्षेपों की पहचान करने का एक समयबद्ध प्रयास है जो बाल विवाह की रोकथाम करने में प्रभावी हैं। । हालाँकि, हमारे अनुसार इसमें शामिल कई पूर्वधारणाएं, मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें समस्याप्रद हैं। हम चंद्रा-मौली और प्लेसन्स (3) द्वारा जे.ए.एच कमेंट्री में उठाई गई प्रमुख समालोचना का समर्थन करते हैं: यह समीक्षा साक्ष्यों के आधार पर साहसिक, व्यापक निष्कर्ष निकालती है जो वर्तमान में नीति और कार्यक्रम संबंधी निर्णयों को सूचित करने के लिए बहुत सीमित और अपर्याप्त है। इसलिए हम सहमत हैं कि "बाल विवाह की रोकथाम के लिए कार्यक्रमों की संपूर्ण नीति को बदलना जल्दबाजी होगी*"* (पृष्ठ 834)।

हम समीक्षा के (सीमित साक्ष्य के आधार पर) निष्कर्ष से चिंतित हैं कि बहु-घटकीय हस्तक्षेपों की सफलता दर कम होती है और इसलिए उन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जैसे कि मल्होत्रा और एल्नाकिब ने कहा है, इन कार्यक्रमों के व्यक्तिगत सशक्तिकरण, बदलते सामाजिक मानदंडों और संरचनात्मक बदलाव सहित कई, परस्पर जुड़े हुए लक्ष्य होते हैं (पृष्ठ 848)। हालाँकि लेखक इन्हें बाल विवाह कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण लक्ष्यों के रूप में स्वीकार करते हैं, उनकी समीक्षा में कार्यक्रमों की "सफलता" केवल एक संकेतक तक सीमित है: शादी की उम्र को 18 वर्ष की आयु तक सीमित करना। यह एक बेहद सरलीकृत और संभवतः भ्रामक संदेश भेजता है।

बाल विवाह जेन्डर असमानता (4) की एक अभिव्यक्ति है, और जो पितृसत्तात्मक ताकतें लड़कियों और महिलाओं की यौनिकता को नियंत्रित करती हैं और उनकी एजेंसी, स्वायत्तता और निर्णय लेने में बाधा डालती हैं, वे लड़की के 18 वर्ष की हो जाने के बाद गायब नहीं हो जातीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई लड़की जिसने एक कार्यक्रम में भाग लिया, फिर अपनी इच्छा के विरुद्ध 18 वर्ष की आयु में विवाह करती है, और यदि वह विवाह एक अबराबर, दमनकारी और हिंसक रिश्ता है, तो इस व्यवस्थित

समीक्षा के अंतर्गत ऐसे हस्तक्षेप को भी सफलता की श्रेणी में ही वर्गीकृत किया जाएगा। 18 साल की उम्र में शादी करने के लिए माध्यमिक स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर की गई लड़की के लिए भी यही माना जाएगा। इसी तरह, एक कार्यक्रम जिसके परिणामस्वरूप 18 साल की उम्र के बाद लड़की की शादी होती है, उसकी गतिशीलता, बच्चे पैदा करने या अन्य मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती - ऐसे कार्यक्रम को भी इस समीक्षा के मानदंडों के अनुसार सफलता के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। । इसलिए, हालाँकि विवाह की आयु लड़कियों और महिलाओं के जीवन का एक आंशिक दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है, यह अपने आप में व्यापक रूप से यह स्थापित नहीं करती कि वास्तविक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, सी.ई.एफ.एम.यू को प्रभावित करने वाले सत्ता के पहलुओं में किस प्रकार का बदलाव आया है, या आया भी है कि नहीं।

कार्यक्रम संबंधी सफलता की ऐसी परिभाषा, जो कि विशेष रूप से लड़कियों के विवाह की उम्र पर ही केंद्रित रहती है, उसके अंतर्गत सी.ई.एफ.एम.यू के मूल कारणों और कारकों को अनदेखा कर दिया जाता है, जिसमें ऐसे मानदंड शामिल हैं जो महिलाओं और लड़कियों के सामाजिक मूल्य को कम मानते हैं, उनकी यौनिकता पर नियंत्रण रखते हैं (5) और उनके अपने जीवन पर नियंत्रण को सीमित करते हैं। सी.ई.एफ.एम.यू को रोकने के लिए जेन्डर-परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के साथ इन मूल कारणों को संबोधित करने की आवश्यकता है जो इन मानदंडों और परिवार, समुदायों और संस्थानों के भीतर अबराबर सत्ता के ढांचों को चुनौती दे सके (6)।

ऐसे कार्यक्रम जो परिवारों को 18 साल की उम्र तक लड़कियों को अविवाहित रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि सशर्त नकद हस्तांतरण, समीक्षा के निष्कर्ष में सबसे सफल माने गए हैं, लेकिन वे महज़ विवाह को टालने में मदद कर सकते हैं, विशेषकर यदि वे जेन्डर-परिवर्तनकारी हस्तक्षेपों के साथ लागू नहीं किए जाते। उदाहरण के लिए, लड़कियों की शादी उनकी 18 साल उम्र पर हो सकती है जब नकदी आना बंद हो जाएगी, लेकिन उनकी स्थिति या जीवन विकल्पों में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आता (7)। इसके अलावा, परिणाम दिखाने का दबाव संगठनों और सरकारों को अल्पकालिक, अत्यधिक दृश्यमान परिणामों - जैसे विवाह में देरी - को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है - लेकिन इनका खतरा है कि ऐसे कार्यक्रम उत्पीड़न की मूलभूत संरचनाओं को संबोधित नहीं करते और फिर इनमें अन्य आवश्यक निवेश नहीं किए जाते। बाल विवाह को रोकने के कार्यक्रमों के लिए ज़रूरी है कि वे सशक्तिकरण, शारीरिक स्वायत्तता और समानता को बढ़ावा देने पर ज़ोर दें।

हम आसानी से मिलान करने वाले संकेतक के प्रति आकर्षण को समझते हैं, लेकिन बाल विवाह जैसी जटिल समस्या के लिए कार्यक्रम की प्रभावशीलता (8) को निर्धारित करने के लिए बहुआयामी मापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है । इसमें लड़कियों की एजेंसी में परिवर्तन, गतिशीलता, निर्णय लेने और जीवन के अवसरों के साथ-साथ माता-पिता, समुदाय के नेताओं, शिक्षकों, सेवा प्रदाताओं और लड़कियों के जीवन पर प्रभाव रखने वाले अन्य लोगों के व्यवहार और प्रथाओं में बदलावों पर नज़र रखना शामिल हैं। चूंकि इस दृष्टिकोण को अपनाने वाले कार्यक्रमों को परिणाम प्रदर्शित करने

में अधिक समय लग सकता है, इसलिए वृद्धिशील परिवर्तन को दर्शाने वाले उपाय प्रभावशीलता को मापने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

सफल जेन्डर-परिवर्तनकारी कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान में निवेश करना आवश्यक है, विशेष रूप से लम्बवत अध्ययनों में, जो यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या वे व्यवस्थित रूप से महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ और शक्ति को कमज़ोर बनाने वाली अबराबर सत्ता संरचनाओं और जेन्डर मानदंडों में स्थायी परिवर्तनों को बढ़ावा दे रहे हैं और कैसे। विवाह की आयु के एकल संकेतक की तुलना में यह बहु-आयामी दृष्टिकोण ज़्यादा गहरा है, और लड़कियों और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने तथा जेन्डर समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की एक समृद्ध समझ पैदा करने की कुंजी है। सामाजिक मानदंड एटलस (9) जैसी हाल की पहलों ने सी.ई.एफ.एम.यू जैसी हानिकारक प्रथाओं को कायम रखने वाले सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन को मापने की दिशा में बहुत प्रगति की है, और वे मज़बूत संकेतकों और सफलता के उपायों को एकीकृत करने के अवसर प्रदान करती हैं। स्थानीय महिला अधिकार और युवा संगठनों को अक्सर अपने संदर्भ में मौजूद मानदंड और चुनौतियां मालूम होती हैं (10) और वे जेन्डर-परिवर्तनकारी कार्यक्रमों का नेतृत्व करने में सबसे अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन अक्सर उनके पास अपने काम का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते (11)। भविष्य के अनुसंधान में सफलता के किन संकेतकों पर नज़र रखी जानी चाहिए, इसकी पहचान और संचालन में इनकी आवाज़ को शामिल किया जाना चाहिए।

वैश्विक स्तर पर बाल विवाह की घटनाओं और प्रवृत्तियों पर नज़र रखने वाले उपाय इस बात का संकेत देने में मददगार हैं कि हम कुल मिलाकर किस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि शोधकर्ता, मूल्यांकनकर्ता और अन्य लोग लड़कियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, इसलिए हमें जटिल, बहु-आयामी वास्तविकताओं को ऐसे सुविधाजनक संकेतकों में संकुचित करने के प्रलोभन से बचने की ज़रूरत है, जो अपने आप में सार्थक, स्थायी परिवर्तन को मापने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, यदि हम केवल उन हस्तक्षेपों में निवेश करते हैं जो विवाह की उम्र के मापदंड को पूरा करते हों, चाहें वे जेन्डर-परिवर्तनकारी परिणाम प्राप्त करते हों या नहीं, तो हम कई ऐसे कार्यक्रमों को संसाधन देने से दूर हो जाएंगे जो अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।

एक वैश्विक समुदाय के रूप में, हमें साथ मिलकर काम करना होगा जिससे कि हम एजेंसी बदलने, निर्णय लेने और सत्ता को स्थानांतरित करते हुए, बाल विवाह को संबोधित करने वाले कार्यक्रमों की बेहतर समझ बना सकें, उनके प्रभावों को माप सकें और पर्याप्त रूप से उनके लिए संसाधन उपलब्ध करा सकें, जिससे कि सभी लड़कियां और महिलाएं अपनी सम्पूर्ण क्षमता प्राप्त कर सकें।

लेखक*:
ऐना एगुइलेरा, उप निदेशक ऐडोलेसन्ट एण्ड यूथ सेक्शुअल एण्ड रीप्रोडक्टिव हेल्थ एण्ड राइट्स - एन्जेन्डर हेल्थ

सारा ग्रीन, यौन स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार - अमेरिकन ज्यूइश वर्ल्ड सर्विस

मार्गरेट ग्रीन, कार्यकारी निदेशक - ग्रीनवर्क्स

चिमारोके इज़ुगबारा, निदेशक, वैश्विक स्वास्थ्य, युवा और विकास - इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन

एरिन मर्फी-ग्राहम, शिक्षा के एसोसिएट सहायक प्रोफेसर - यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया - बर्कले

*सभी लेखक चाइल्ड, अर्ली एंड फोर्स्ड मैरिज एंड यूनियन्स एण्ड सेक्शुअलिटी वर्किंग ग्रुप के सदस्य हैं

सन्दर्भ:

1. संयुक्त राष्ट्र बाल निधि। कोविड-*19: अ* थ्रेट टु प्रोग्रेस अगेन्स्ट चाइल्ड मेरिज, यूनिसेफ, न्यूयॉर्क, 2021। यहां उपलब्ध है , 27 मई 2021 को देखा गया।
2. मल्होत्रा, ए., और एल्नाकिब, एस. (2021)। *20* इयर्स ऑफ द एविडन्स बेस ऑन व्हाट वर्क्स टु प्रीवेन्ट चाइल्ड मेरिज*:* अ सिस्टमैटिक रिव्यू। जर्नल ऑफ ऐडोलेसन्ट हेल्थ। खंड 68, अंक 5, मई 2021, पृष्ठ 847-862। https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X20306868
3. चंद्र-मौली, वी., और प्लेसन्स, एम. (2021)। एक अभूतपूर्व व्यवस्थित समीक्षा, लेकिन बाल विवाह की रोकथाम के कार्यक्रमों की धारा को बदलने के लिए केवल यही पर्याप्त नहीं है। जर्नल ऑफ ऐडोलेसन्ट हेल्थ, 68(5), 833-835। https://www.jahonline.org/action/showPdf?pii=S1054-139X%2821%2900101-4
4. गर्ल्स नॉट ब्राइड्स (2021) एन्डिंग चाइल्ड*,* अर्ली एण्ड फोर्स्ड मेरिज इस क्रूशल तो जेन्डर इक्वालिटी। https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/resource-centre/ending-child-marriage-is-crucial-to-gender-equality/
5. ग्रीन, मार्गरेट ई, स्टेफ़नी एम पर्लसन, जैकलिन हार्ट, और मार्गो मुलिनैक्स। (2018)। द सेन्ट्रैलिटी ऑफ सेक्शूऐलिटी फॉर अन्डर्स्टैन्डिंग चाइल्ड*,* अर्ली एण्ड फोर्स्ड मेरिज। वाशिंगटन, डीसी और न्यूयॉर्क: ग्रीनवर्क्स और अमेरिकन ज्यूइश वर्ल्ड सर्विस। https://ajws.org/wp-content/uploads/2018/05/centrality_of_sex__final.pdf

6. द चाइल्ड, अर्ली एंड फोर्स्ड मैरिज एंड यूनियन्स सेक्शूऐलिटी वर्किंग ग्रुप। (2019) टैकलिंग द टैबू: सेक्शूऐलिटी एंड जेंडर-ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स टू एंड चाइल्ड, अर्ली एण्ड फोर्स्ड मेरिज एण्ड यूनियन्स। https://www.girlsnotbrides.org/documents/905/Tackling-the-Taboo_-Full_English.pdf
7. अमीन, साजेदा; असदुल्लाह, नियाज़; हुसैन, सारा; वहाज, ज़ाकी (2016): कैन कन्डिशनल ट्रांसफर्स इरैडिकेट चाइल्ड मैरिज?, आई.ज़ेड.ए पॉलिसी पेपर, नंबर 118, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ लेबर (आई.ज़ेड.ए), बॉन। https://www.econstor.eu/handle/10419/162529
8. हिलेनब्रांड, एमिली, करीम, निदाल, मोहनराज, प्रनाति, और वू, डायना। (2015) मेज़रिंग जेन्डर-ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। केयर यू.एस.ए। https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/working_paper_aas_gt_change_measurement_fa_lowres.pdf
9. सोशल नॉर्म्स ऐट्लस मटीरियल्स। https://www.alignplatform.org/events/introducing-social-norms-atlas-compass-social-norms-across-sectors
10. सिस्लाघी, बेन। (2017)। ह्यूमन राइट्स एण्ड कम्यूनिटी-लेड डेवलपमेंट: लेसन्स फर्म टोस्टान (वैश्विक न्याय और मानव अधिकारों में अध्ययन)। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी प्रेस।
11. केली, सी.एम, लॉरोज़, जे।, और शारफ, डी.पी. (2014)। अ मेथड फॉर बिल्डिंग इवैल्यूऐशन काम्पिटन्सी अमंग कम्यूनिटी- बेस्ड ऑर्गनीज़ेशन्स। हेल्थ प्रमोशन प्रैक्टिस। 15(3), 431-437।

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1524839913496427